भारतीय समाज में दहेज का उद्‌भव एवं विकास

पवन कुमार*

प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में कई प्रकार की प्रथाएं विद्यमान रही हैं जिनमें से अधिकांश परंपराओं का सूत्रपात किसी अच्छे उद्‌देश्य से किया गया था, लेकिन समय बीतने के साथ–साथ इन प्रथाओं की उपयोगिता पर भी पश्नचिंह लगता गया जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक और सामाजिक तौर पर ऐसी अनेक मान्यताएं आज अपना औचित्य पूरी तरह गंवा चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जो बदलते समय के साथ–साथ अधिक विकराल रूप ग्रहण करती जा रही हैं। दहेज प्रथा ऐसी ही एक कुरीति बनकर उभरी है जिसने ना जाने कितने ही परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस प्रथा के अंतर्गत युवती के पिता उसे ससुराल विदा करते समय तोहफे और कुछ धन देता है। अब यही धन वैवाहिक संबंध तय करने का माध्यम बन गया है। वर पक्ष के लोग मुंहमांगे धन की आशा करने लगे हैं जिसके ना मिलने पर स्त्री का शोषण होना, उसे मानसिक और शारीरिक रूपसे प्रताड़ित किया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यही कारण है कि हर विवाह योग्य युवती के पिता को यही डर सताता रहता है कि अगर उसने दहेज देने योग्य धन संचय नहीं किया तो उसके बेटी के विवाह में परेशानियां तो आएंगी ही, साथ ही ससुराल में भी उसे आदर नहीं मिल पाएगा।

हैरानी की बात तो यह है कि जब इस प्रथा की शुरूआत की गई तब से लेकर अब तक इस प्रथा के स्वरूप में कई नकारात्मक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो यह प्रमाणित होता है कि दहेज का जो रूप आज हम देखते हैं ऐसा पहले नहीं था। उत्तरवैदिक काल में प्रारंभ हुई यह परंपरा आज अपने घृणित रूप में हमारे सामने खड़ी है। दहेज प्रथा के औचित्य और उद्‌देश्य में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उन्हें निम्नलिखित कालांतरों के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है –

उत्तर वैदिक काल :–ऋग्वैदिक काल में दहेज प्रथा का कोई औचित्य या मान्यता नहीं थी। अथर्ववेद के अनुसार उत्तरवैदिक काल में वहतु के रूप में इस प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ जिसका स्वरूप वर्तमान दहेज व्यवस्था से पूरी तरह भिन्न था। इस काल में युवती का पिता उसे पति के घर विदा करते समय कुछ

***विधि–शोधार्थी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर**

तोहफे देता था, लेकिन उसे दहेज नहीं मात्र उपहार माना जाता था। यह पूर्व निश्चित नहीं होता था। उस समय पिता को जो देना सही लगता था वह अपनी इच्छा से दे देता था जिसे वर पक्ष सहर्ष स्वीकार कर लेता था। इसमें न्यूनतम या अधिकतम जैसी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। इस वस्तु पर पति या ससुराल वालों का अधिकार नहीं होता था बल्कि यह उस संबंधित स्त्री के लिए उपहार होता था। इस काल में लिखे गए धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में कहीं भी दहेज से संबंधित कोई भी प्रसंग नहीं उल्लिखित किया गया।

मध्य काल :–मध्य काल में इस वहतु को स्त्रीधन के नाम से पहचान मिलने लगी। इसका स्वरूप वहतु के ही समान था। पिता अपनी इच्छा और काबीलियत के अनुरूप धन या तोहफे देकर बेटी को विदा करता था। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि जो उपहार वो अपनी बेटी को दे रहा है वह किसी परेशानी में या फिर किसी बुरे समय में उसके और उसके ससुराल वालों के काम आएगा। इस स्त्रीधन से ससुराल पक्ष का कोई संबंध नहीं होता था। लेकिन इसका स्वरूप पहले की अपेक्षा थोड़ा विस्तृत हो गया था। अब विदाई के समय धन को भी महत्व दिया जाने लगा था। विशेषकर राजस्थान के उच्च और संपन्न राजपूतों ने इस प्रथा को अत्याधिक बढ़ा दिया। इसके पीछे उनका मंतव्य ज्यादा से ज्यादा धन व्यय कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना था। यहीं से इस प्रथा की शुरूआत हुई जिसमें स्त्रीधन शब्द पूरी तरह गौण हो गया और दहेज शब्द की उत्पत्ति हुई।

आधुनिक काल :–वर्तमान समय में दहेज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रथा का रूप ग्रहण कर चुकी है जिसके अंतर्गत युवती के माता–पिता और परिवारवालों का सम्मान दहेज में दिए गए धन–दौलत पर ही निर्भर करता है। वर–पक्ष भी सरेआम अपने बेटे का सौदा करता है। प्राचीन परंपराओं के नाम पर युवती के परिवार वालों पर दबाव डाल उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपने चपेट में ले लिया है। संपन्न परिवारों को शायद दहेज देने या लेने में कोई बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि उन्हें यह मात्र एक निवेश लगता है। उनका मानना है कि धन और उपहारों के साथ बेटी विदा करेंगे तो यह उनके मान–सम्मान को बढ़ाने के साथ–साथ बेटी को भी खुशहाल जीवन देगा। लेकिन निर्धन अभिभावाकों के लिए बेटी का विवाह करना बहुत भारी पड़ जाता है। वह जानते हैं कि अगर दहेज का प्रबंध नहीं किया गया तो विवाह के पश्चात् बेटी का ससुराल में जीना तक दूभर बन जाएगा।

वर्तमान दहेज समस्या हिन्दू वैवाहिक संस्कार के दो कारणों से उत्पन्न हुई है – कन्यादान और वरदक्षिणा। संयुक्त संसदीय समिति ने इन तथ्यों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया था। संसदीय समिति ने कहा था कि दहेज–समस्या

की उत्पत्ति कुछ विशेष कारणों से हुई है। प्राचीन समय में विवाह के संस्कार और रीति–रिवाज कन्यादान के साथ जुड़े थे। हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुसार धार्मिक रूप से किया गया कोई भी दान तब तक पूर्ण नहीं माना जाता था जब तक कि प्राप्तकर्ता को कुछ दक्षिणा न दिया जाय। इसलिए जब दूल्हे को कन्या दान के रूप में दी जाती थी तो उपहार के रूप में कुछ नगद दिया जाता था जिसे वर दक्षिणा कहा जाता था। परन्तु वरदक्षिणा का यह स्वरूप सभी हिन्दु समुदाय में प्रचलित नहीं था। वरदक्षिणा का यह रूप कतिपय ब्राह्मणों के बीच प्रचलित था। ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य हिन्दू समुदाय में इसका प्रचलन नहीं था। ब्राह्मण को छोड़कर अन्य वर्गों में वर दक्षिणा विवाह का आवश्यक अंग नहीं माना जाता था। 'सप्तपदी' एवं विवाह होम का पालन किया जाना विवाह का आवश्यक अंग माना जाता था। संसदीय समिति ने वरदक्षिणा की तुलना दहेज से किया है। समिति का कहना है वर दक्षिणा अथवा दहेज में उन दिनों आभूषण और कपड़े भी सम्मिलित थे जिसे दुल्हन के माता–पिता द्वारा दूल्हे को दिया जाता था।

संसदीय समिति का पुनः कथन है कि – यह वरदक्षिणा स्नेहवश दिया जाता था और यह विवाह के प्रतिफल या दबाव में नहीं दिया जाता था। धर्मशास्त्रों का भी कथन है कि वृत्ति एवं आभूषण दुल्हन की सम्पत्ति थी और वे स्त्रीधन का निर्माण करते थे। ऐसी सम्पत्ति पर दुल्हन का पूरा अधिकार होता था और विपरीत परिस्थितियों में महिला को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता था।

सुधा राम खण्डेश्वर[1] के बाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वरदक्षिणा दूल्हे के परिवार द्वारा नहीं रखा जा सकता। यह दूल्हे और दुल्हन की संयुक्त सम्पत्ति होती है। वर दक्षिणा दहेज का भाग होती है।

वरदक्षिणा को दहेज कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। दहेज स्त्रीधन का भाग नहीं होता है। दुल्हन स्त्रीधन का अधिक भाग विवाह के समय या विवाह के बाद प्राप्त करती है। विवाह के समय स्त्री को दिया गया उपहार दहेज नहीं समझा जाना चाहिए। दहेज और स्त्रीधन के बीच अन्तर है। इस अन्तर ने विधायिका और न्यायपालिका के समक्ष समस्या उत्पन्न कर दिया है। दहेज वह सम्पत्ति है जो दबाव या अनुचित तरीके से प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में दहेज दुल्हन को दिया गया उपहार नहीं होता है। यह वह सम्पत्ति है जिसे दबाव या अनुचित तरीके से प्राप्त किया जाता है। उपहार वह सम्पत्ति है जो दुल्हन के माता–पिता द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता है जिसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम स्त्रीधन कहता है। दहेज का इतिहास कन्यादान व वरदक्षिणा के इतिहास में नहीं पाया जा सकता है। दहेज वह सम्पत्ति है जिसे दुल्हन के माता–पिता द्वारा दबाव या अनुचित तरीकों से प्राप्त किया जाता है। हिन्दू समुदाय में यह परम्परा है कि माता–पिता विवाह

में अपनी कन्या दे। इस पवित्र धार्मिक कर्तव्य के अनुपालन में माता–पिता अपनी लड़की के लिये एक दुल्हे की खोज करता है। परन्तु हिन्दू समुदाय में यह प्रचलन हो गया है कि दूल्हे एवं उसके परिवार के लोग इस आधार पर दहेज मांगते हैं कि वे तब तक लड़की को स्वीकार नहीं करेगें जब तक उनकी दहेज की माँग पूरी न की जाए। इस प्रकार दहेज वह सम्पत्ति है जो लड़की के माता–पिता या अभिभावकों द्वारा दुल्हे या उसके परिवार को दिया जाता है। ऐसी सम्पत्ति को स्त्रीधन से अलग रखा जाना चाहिए। हिन्दू विद्वानों व धर्माचार्यों ने ऐसे विवाह की आलोचना की है। उन्होंने इसे असुर श्रेणी का विवाह कहा है। इसे अमान्य विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। मनु ने कहा है कि – ''जब दूल्हा दुल्हन को सम्पत्ति लेकर स्वीकार करता है तब यह असुर श्रेणी का विवाह होता है।''[2]

दहेज का अर्थ वह नगद धन या वस्तु है, जो कन्या पक्ष अपनी विवाह के अवसर पर उसके जीवन को सुखी बनाने के लिए वर–पक्ष को स्वेच्छा से देता है। भारतवर्ष में कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष के सम्मान और उपहार स्वरूप अनेक वस्तुएं तथा धन देने की परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है। यान्त्रिक और भौतिकवादी युग में प्रारम्भ होने से धन की महत्ता बढ़ी है। अब स्वेच्छा से दिया जाने वाला धन सप्रयास दिया जाने लगा है। अब वर पक्ष वाले अपना 'हक' मानकर उसे निर्ममता पूर्वक वसूल करते हैं। वास्तव में दहेज आज 'वर–मूल्य' बन गया है और कन्या के पिता के लिए अर्थदण्ड हो गया है। वर पक्ष वाले दहेज के नाम पर फ्रिज, टेलीविजन, कूलर, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, सोना–चाँदी, सोफासेट, गोदरेज की अलमारी, बहुमूल्य घड़ी, धन आदि वसूल करते हैं। अब कन्या की शादी में लाखों रूपये पानी की तरह बहाना पड़ता है। महिलाओं के प्रति अपराधों में दहेज समस्या का रूप निरन्तर गम्भीर होता जा रहा है जिसका सामाजिक और विधिक अध्ययन करना आज की प्रमुख आवश्यकता है। कानूनी रूप से दहेज का अर्थ किसी भी ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवाद वस्तु से है जिसे विवाह के एक शर्त के रूप में विवाह से पहले या बाद में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देना अनिवार्य होता था। हमारे समाज में दहेज की समस्या कन्या पक्ष से ही संबंधित है। इसलिए इसे अक्सर वर मूल्य कहा जाता है। दहेज की राशि का निर्धारण वर की कुलीनता, शिक्षा और व्यवसाय के आधार पर किया जाता है। सैद्धान्तिक रूप से इसे भले ही विवाह की एक अनिवार्य शर्त न कहा जाता हो लेकिन व्यापारिक रूप में आज सभी जातियों और सभी व्यावसायिक समूहों में दहेज का प्रचलन है, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि शिक्षा और सामाजिक चेतना में वृद्धि होने के साथ ही यह समस्या और भी गम्भीर होती जा रही है।

दहेज की इस कुत्सित–समस्या ने हमारे समाज की लड़खड़ा दिया है। इस समस्या के कारण भाई–बहन के बीच द्वेष उत्पन्न हो गया है। पिता–पुत्री के

बीच घृणा और पति–पत्नी के पावन संबंध स्वार्थ से पूरित हो गये हैं। समाज में कन्या पिता के लिए भार है। पति को पत्नी की अपेक्षा धन से अधिक प्यार है। कितनी कुलीन कन्याएँ विवाह में विलम्ब होने के कारण अपने मार्ग से भटक जाती है और पाप की नगरी में पहुँच जाती हैं। कितने ही नवयुवक अपनी नवोढ़ा सुन्दर पत्नी को छोड़कर धन की चकाचौंध में गुमराह हो जाते हैं, परन्तु आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है। वर पक्ष के सभी सदस्य कन्या को अनेक यातनाएँ देते हैं। आज कल कन्या को मार डालने की अनेक सच्ची घटनायें सुनने में आती हैं। आज कोई युवक तब तक किसी सुन्दर कन्या से विावह करने को तैयार नहीं होता जब तक उसके पिता की दहेज की माँग पूरी नहीं होती है। अनेक बारातें उचित दहेज न मिलने के कारण वापस लौट जाती हैं। धनाभाव में बहुत सी कन्याओं के हाथ पीले नहीं हो पाते तथा बहुत–सी अयोग्य वर से बाँध दी जाती हैं। यह दहेज दानव रूपी समस्या कितनी ही कन्याओं के स्वप्न ध्वस्त कर देता है, कितनी को आत्महत्या के लिए विवश कर देता है। कितने ही माता–पिता को जीवन भर ऋण की चक्की में पिसते रहना पड़ता है। अब इस दहेज दानव रूपी समस्या के हिन्दू ही नहीं मुसलमान, सिक्ख और ईसाई भी शिकार बनते जा रहे हैं।

दहेज का अर्थ :

मैक्सरेडिन के अनुसार– ''साधारणतया दहेज वह सम्पत्ति है जो कि एक पुरुष विवाह करने पर अपनी पत्नी या परिवार से पाता है जो कन्या पक्ष के द्वारा दबाव से दी गई है।''[3]

वेबस्टर शब्द–कोश के अनुसार– ''दहेज वह धन, सामान अथवा सम्पत्ति है जो विवाह में एक स्त्री अपने पति के लिए लाती है।''[4]

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार– ''दहेज वह सम्पत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय वर अथवा उसके परिवार के लिए लाती है।''[5]

फेयर चाइल्ड के अनुसार– ''दहेज वह धन या सम्पत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या को उसके माता–पिता या निकट सम्बन्धियों द्वारा दी जाती है।''[6]

एम0एन0 अन्सारी के अनुसार–''दहेज से तात्पर्य उस सम्पत्ति या मूल्यवान वस्तु से है जो कि कन्या के पिता को उसके विवाह के बदले में (मूल्य) वर–पक्ष को देनी पड़ती है।''[7]

चार्त्स विनिक के अनुसार–''दहेज वे बहुमूल्य वस्तुएँ हैं जो कि एक विवाह में कन्या पक्ष के परिवार वालों को वरपक्ष को बाध्य होकर देनी पड़ती है।''[8]

ए0एस0 अल्तेकर के अनुसार–''दहेज प्रथा हिन्दू समाज की वह दूषित प्रथा है जिसके कारण अनेक निरपराध कुमारियों को आत्महत्या के लिये बाध्य किया जाता है।''

वीरेन्द्र कुमार शर्मा के अनुसार–''दहेज के लिये युवा वधुओं को अपमानित,

प्रताड़ित व सताया जाता है। उनकी हत्या की जाती है जो वर के परिवार की संरचना, आकांक्षाएँ, आर्थिक स्तर को उच्च बनाने की, दूसरे लोगों के विवाह में आये दहेज की तुलना करना, स्वयं व उसको कुण्ठित करना, हीन भावना से ग्रसित होना, पत्नी की हत्या व उसको जलाकर, फाँसी देकर व जहर देकर मारने में अहम भूमिका निभाते हैं।''

प्रभा आप्टे के अनुसार– ''दहेज का अर्थ वह सम्पत्ति या मूल्यवान वस्तुएँ हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में देने का समझौता, कन्या पक्ष के परिवार वाले वर पक्ष को अपनी कन्या के विवाह के बदले में विवाह के समय या उसके बाद देने का वादा करते हैं।''

डॉ0 रामनाथ शर्मा एवं डॉ0 राजेन्द्र नाथ शर्मा के अनुसार–''वरमूल्य किसी युवक को वर के बदले में दिया गया मूल्य अर्थात धन सम्पत्ति है, जो कि कन्या पक्ष के परिवार वालों की ओर से कन्या के विवाह के समय दिया जाता है।''

डॉ0 राम आहुजा के अनुसार–''दहेज वे वस्तुएँ या सम्पत्ति है जिसके न मिलने पर महिलाएँ हत्याओं का शिकार हो जाती हैं। दहेज हत्याओं की 70 प्रतिशत शिकार वह महिलाएँ अधिक होती हैं जो 21–24 वर्ष की आयु समूह की होती हैं। मध्यम वर्ग की स्त्रियों के उत्पीड़न की दर निम्न वगैर जाति की अपेक्षा उच्च व उच्च वर्ग में दहेज हत्या व दहेज प्रताड़ना दर अधिक पायी जाती है।''[9]

मोहिन्द्रजीत कौर के अनुसार–''दहेज एक वस्तु या सम्पत्ति है जिसको एक माता–पिता द्वारा विवाह के समय अपनी पुत्री को दिया जाता है तथा कई बार उसकी पूर्ति न करने पर उसको मार दिया जाता है।''[10]

केन्द्रीय सरकार की 1993 की रिपोर्ट के अनुसार–''भारत में प्रति 102 मिनट में दहेज से संबंधित हत्या होती है। तद्‌नुसार एक दिन में 33 तथा 1 वर्ष में लगभग 5000 हत्यायें दहेज के कारण होती हैं।''[11]

वर्तमान में दहेज एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। इसके कारण माता–पिता के लिये लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है। दहेज के कारण न जाने कितनी स्त्रियों को अनेक प्रकार की यातनायें दी जाती हैं। हजारों कन्याओं की माँग में सिंदूर इसलिये न भरा जा सका, चूँकि उनके माता–पिता इतना दहेज न दे सके जितना वर पक्ष वालों की माँग थी। वर्तमान में दहेज समस्या के बढ़ते अपराध के संबंध में कवि चतुरानन झा 'मनोज' ने कविता के माध्यम से कहा है कि –

ग्राम–ग्राम और शहर–शहर में अबलायें करती चीत्कार।
अग्नि दहेज की धाक रही है, दूल्हे का है गरम बाजार।।
बाबू यह चिन्ता करते हैं कि क्यों जन्मी घर में बेटी।
उसका विवाह कराने के हित घर बेची, बेची खेती।।

बेटी अपने भाग्य को कोसे, पूजे पीपल हर सोमवार।
अग्नि दहेज की धाक रही है, दूल्हे का है गरम बाजार।।
कितने सास नरद मिलकर, बहुओं को जलाकर मार दिया।
मर जाये ऐसे पापी लोग, जिन्होंने अपने बेटों को बेच दिया।।
औरत जलकर मर जाती है, जो सबके हित करती व्रत त्योहार।
अग्नि दहेज की धधक रही, दूल्हों का है गरम बाजार।।

दहेज की इस कुत्सित प्रथा ने हमारे समाज को लड़खड़ा दिया है। दहेज समस्या भारतीय संस्कृति के पवित्र भाल पर एक महान कलुषिक कलंक है। रावण ने केवल एक सीता का हरण कर उसके जीवन को कष्टमय बनाया था परन्तु दहेज रूपी रावण ने न जाने कितनी कन्याओं का सौभाग्य सिन्दूर से वंचित करके उनके जीवन को ही दूभर बना दिया। इस समस्या के कारण भाई–बहन के बीच द्वेष उत्पन्न हो गया है। पिता–पुत्री के बीच घृणा और पति–पत्नी के पावन संबंध स्वार्थ से पूरति हो गये हैं। समाज में कन्या पिता के लिए भार है। पति को पत्नी की अपेक्षा धन से अधिक प्यार है। कितनी कुलीन कन्याएँ विष का घूँट पीकर यमलोक सिधार जाती हैं। कितनी ही अपने शरीर को अग्नि देव को समर्पित कर देती हैं। अब इस दहेज दाव रूप समस्या ने हिन्दू ही नहीं, मुसलमान, सिक्ख और इसाई भी शिकार बनते जा रहे हैं।

सन्दर्भ

1. (1946) ट्रा एल आज 224 (एफ बी)
2. मनु स्मृति, ।।।, 31 ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायें चैव शक्तितः
3. मैक्सरेडिन, ''डॉवरी इनसाइक्लोपिडिया ऑफ सोशियल साइंस'' वॉल्यूम अ पृ0 32
4. वेबस्टर शब्द–कोश, ''न्यू इन्टरनेशनल डिक्शनरी'' वॉल्यूम–।, डब्ल्यू एण्ड आर चैम्बर्स लिमिटेड, लन्दन 1981, पृ0–668
5. एनसाइक्लोपीडिया, ''इन्टरनैशनल ऑफ सोशियल साइंसेज'' टवस टप्प् 1986, पृ0–565
6. फैयर चाइल्ड, ''डिक्शनरी ऑफ सोशियालॉजी'' लिटिल फील्ड एडम्स कम्पनी, 1955, पृ0 106
7. एम0एन0 अन्सारी, ''महिला और मानवाधिकार'', ज्योति प्रकाशन जयपुर, 2000, पृ0 227
8. चार्ल्स विनिक, ''डिक्शनरी ऑफ एन्थ्रपोलॉजी'' न्यूयार्क, मैकमिलन फ्री प्रेस, 1968, पृ0 174

9. डॉ0 राम आहुजा, ''सामाजिक समस्यायें'', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1999, पृ0 227
10. मोहिन्दरजीत कौर तेजा, ''ए स्टडी इन अटोटाइम एण्ड पेक्टाइज'' इन्टर इण्डिया पब्लिशन, नई दिल्ली, 1993, पृ0 5
11. केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट 1993, ''सामाजिक समस्याएँ'', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 1993, पृ0 123